

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1511 /
दो-14-9/83 बेंच

जबलपुर, दिनांक २७/06/2020

1. श्री विजय पाल सिंह आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य
2. श्री अरुण कुमार आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी
3. श्री राहुल सिंह आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को "मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (MAP IT) स्टेट भोपाल द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता एवं प्रमाणन (CPCT) की परीक्षा सत्र 2020-2021 में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेंद्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/1512 /
दो-14-9/83 बेंच

जबलपुर, दिनांक २७/06/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 2163/ स्था. ग्वालियर, दिनांक 20.05.2020 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(एम)(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

9. श्री विजय पाल सिंह आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
 10. श्री अरुण कुमार आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
 11. श्री राहुल सिंह आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
